न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 27/2020 ई.रे. दिनांक 23.12.2025

. उदयलाल पिता भेरूलाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी

– प्रार्थी

बनाम

1. भेरूलाल पिता काशीराम धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी
2. कमला पुत्री भेरूलाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी
3. राज्य सरकार जरिये भूमीधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी
4. उप–पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय बड़ीसादड़ी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित– श्री अनिल सोनावा वकील प्रार्थी

–:: आदेश::–

प्रार्थी की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि –

1. प्रार्थी ने उक्त उनवान का एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 209, आर.टी.एक्ट का श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने निश्चित ही प्रार्थी के हक में निर्णित होगा किन्तु प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना है इसीलिये यह प्रार्थना वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा पृथक से पेश किया जा रहा है।
2. खतोनी संख्या नई 137 की आराजी खसरा नं. 552 रकबा 1.7600 है. लगानी 58.08 रूपया आराजी नं. 553 रकबा 0.1400 है. लगानी 4.62 रूपया, आराजी नं. 842 रकबा 0.9600 है. लगानी 31.68 रूपया भूमि का कुल किता 3 कुल रकबा 2.8600 है. कुल लगानी 94.38 रूपया भूमि ग्राम जयसिंहपुरा पटवार सर्कल पारसोली तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है। उक्त आराजी के भू– प्रबंधक मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक आराजी खसरा नं. 327, 328, 461 है. तथा अन्य आराजी नं. 452, 453, 495 कुल किता 6 कुल रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा थे। वास्ते साक्ष्य नकल जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल की नकल संलग्न है। इन आराजीयात को प्रार्थना पत्र में आगे चलकर सुविधा के लिहाज से वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।
3. मूल पुरूष काशीराम पिता जीवा जी धाकड़ है जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिनके विधिक वारिस एकलोता पुत्र भेरूलाल जी है। भेरूलाल जी के वैध उत्ताराधिकारी एवं वारिस प्रार्थी उदयलाल एवं विपक्षी कमांक 2 कमला है। इनके अतिरिक्त भेरूलाल जी अन्य कोई पुत्र व पुत्री नही है।
4. वादग्रस्त अराजीयात प्रार्थी की पुश्तैनी पैतृक सम्पति होकर मूल खातेदार काशीराम पिता जीवा जी धाकड़ की खातेदारी में दर्ज थी। काशीराम जी का स्वर्गवास होने से वादग्रस्त आराजीयात् एवं अन्य आराजी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृतक काशीराम जी के पुत्र भेरूलाल विपक्षी कमांक 1 के नाम पर राजस्व रिकार्ड में विरासत से दर्ज हुयी। वादग्रस्त आराजीयात एवं अन्य आराजी जमाबन्दी नकल सम्वत् 2058-2062 में खाता रकबा 22 की आराजी नं. 327, 328, 452, 453, 461, 495, कुल किता 6 कुल रकबा 22 बिस्वा 1 [illegible] भूमि विपक्षी कमांक 1 भेरूलाल पिता काशीराम जी धाकड़ के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि विपक्षी कमांक 1 भेरूलाल जी को विरासत में प्राप्त हुई। उक्त भूमि पुश्तैनी पैतृक है जिसमें प्रार्थी का जन्मतः अधिकार निहित है चुकि प्रार्थी विपक्षी कमांक 1 व वैध उत्तराधिकारी एवं पुत्र है। उक्त आराजी प्रार्थी के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

भेरूलाल जी के खातेदारी में थी जिससे उक्त आराजी में प्रार्थी का बर्थ ऑफ राइट्स अनुसार 1/3 हिस्सा बनता है। प्रार्थी अपने बर्थ ऑफ राइट्स अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। उक्त भूमि का उपयोग – उपभोग करता चला आ रहा है। तथा प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी में अपने जन्म से ही राईट् टाईटल व इन्टरेस्ट स्थापित हो चुका है इसलिए प्रार्थी अपने पिता भेरूलाल के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादग्रस्त आराजीयात में से उत्तराधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी अपने 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है।

5. प्रार्थी विपक्षी कमांक 1 का पुत्र होकर वैध उत्तराधिकारी है जिसका हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी का जन्मतः 1/3 हिस्सा एवं विपक्षी कमांक 1 का 1/3 हिस्सा एवं विपक्षी कमांक 2 का जन्मतः 1/3 हिस्सा बनता। जिससे विपक्षी कमांक 1 अपने 1/3 हिस्से की भूमि के उपयोग हेतु स्वतन्त्र है। फीर भी विपक्षी कमांक 1 ने प्रार्थी की जानकारी के बिना प्रार्थी को अपनी पैतृक सम्पति के उपयोग एवं हक अधिकार से वंचित करने के आशय से आराजी का अवैध तरीके के विक्रय कर दिया। जबकी पूर्व में उक्त आराजी का रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा था यह भूमि प्रार्थी के दादा जी काशीराम जी के नाम पर थी जो विरासत से विपक्षी कमांक 1 को प्राप्त हुई। इस भूमि में से विपक्षी कमांक 1 ने नामान्तरण संख्या 627 बेचान दिनांक 30.12.2006 से साबिक आराजी नं. 452, 453 में से श्रीमति कौशल्या पत्नी सुरेशचन्द्र जी धाकड़ को आराजी नं. 452/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा , आराजी नं. 453 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि का विक्रय कर दिया तथा नामान्तरण संख्या 713 दिनांक 6.7.2010 बेचान से आराजी नं. 495 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि श्रीमति गंगा बाई पत्नी नारायण जी धाकड़ को विक्रय कर दी। जो जमाबन्दी में अंकित है। विपक्षी कमांक 1 ने अपने हिस्से की भूमि का हस्तान्तरण कर दिया। उसके बाद विपक्षी कमांक 1 ने प्रार्थी को अपने 1/3 हिस्से की भूमि को उत्तराधिकारी से सुपुर्द की जिस पर प्रार्थी काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा से निर्विध्य रूप से करता चला आ रहा है। जिससे प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि की खातेदारी की घोषणा पैतृक आराजी मे बर्थ ऑफ राइट्स अनुसार कराने की कानूनन अधिकारी है।

6. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित आराजी में प्रार्थी का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। तथा विपक्षी कमांक 1 के नाम पर जमाबन्दी सम्बत् 2059 से 2062 में वर्णित आराजीयात रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा भूमि में 1/3 हक हिस्से पर प्रार्थी बर्थ ऑफ राइट्स अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। लेकिन वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत् बंटवाड़ा मौके कब्जे अनुसार नही हुआ है। इसलिये प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का मौके कब्जे अनुसार विभाजन कराया।

7. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात पुश्तैनी पैतृक सम्पति होने से प्रार्थी के दादा श्री काशीराम जी के खातेदारी की थी तथा प्रार्थी का वादग्रस्त आराजीयात मे जन्म से ही हक हिस्सा निहित है तथा वादग्रस्त आराजी काशीराम जी की मृत्यु1 के बाद विपक्षी कमांक 1 भेरूलाल के नाम पर दर्ज हुई। विपक्षी कमांक 1 काफी वृद्ध व्यक्ति है जो गांव के व्यक्तियों के बहकावें में आकर प्रार्थी को अपनी पुश्तैनी पैतृक सम्पति में हक व अधिकार से वंचित करने के आशय से पुश्तैनी सम्पति का विक्रय कर दिया जिससे अब विपक्षी कमांक 1 का वादग्रस्त आराजी में कोई हिस्सा शेष नही रहता है। प्रार्थी अपने जन्मतः हक व अधिकार की भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रर्थी के पास इस भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नही है ओर ना ही आय का कोई स्त्रोत है प्रार्थी की एक पुत्री पार्वती विकलांग है जो दोनों पैरों से विकलांग है एवं एक पुत्र घनश्याम है जो 10 वर्ष का होकर नाबालिग है तथा एक पुत्री कृष्णा नाबालिग है जो अध्ययनरत है उनका भरण पोषण वादी अपने हिस्से की भूमि का उपयोग काश्त करके ही [illegible] रहा है फीर भी विपक्षी कमांक 1 उक्त भूमि अपने नाम पर होने का नाजायज लाभ [illegible] लोगों के बहकावे में आकर शेष बची पुश्तैनी पैतृक आराजीयात से वंचित [illegible] हस्तान्तरित करने पर अमादा है। ताकी प्रार्थी अपने हक [illegible] की भूमि से [illegible] हो जाये तथा अपने परिवार का भरण पोषण भी नही कर पाये मजबुरन [illegible] भरण की नौबत आ जाये। इसलिए विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया [illegible] उचित एवं न्याय संगत है कि वे वादग्रस्त पुश्तैनी पैतृक आराजीयात के हिस्सा विशिष्ट भू– भाग को रहन, बय , बक्षीश, एवं अन्य तरीके से

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

हस्तान्तरित नही करें न करावें। तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थित बनाये रखे। तथा वादी को अपने हक हिस्से की भूमि आराजीयात का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे।

8. प्रार्थी अपनी पुश्तैनी पैतृक आराजी में अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उससे अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर रहा है विपक्षी कमांक 1 प्रार्थी को अपने हक व अधिकार की भूमि जो जन्म से प्रार्थी को उत्तराधिकार से प्राप्त हुई उससे बेदखल करने तथा विपक्षी कमांक 1 पुश्तैनी सम्पति इनके अकेले के नाम पर दर्ज होने से उसको अन्य व्यक्ति को विक्रय करने पर अमादा है इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। यदि विपक्षी कमांक 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जाता है तो विपक्षी कमांक 1 वादग्रस्त आराजीयात को अन्य व्यक्ति को विक्रय करने में सफल हो जावेगा तो प्रार्थी को व्यर्थ की मुकदमे बाजी करनी पड़ेगी। प्रार्थी के भूखे मरने तक की नौबत जा जावेगी। प्रार्थी अपने हक व अधिकार से वंचित रह जावेगा। प्रार्थी का वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश करना ही बेकार हो जावेगा इसलिये विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना आवश्यक है।
9. प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि विपक्षीगण को पाबंद नही किया गया तो प्रार्थी अपनी पुश्तैनी भूमि में अपने जन्मतः हक व अधिकार से वंचित हो जावेगा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जबकी विपक्षीगण को पाबंद किये जाने पर उन्हें किसी प्रकार की कोई क्षति नही होगी।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि। विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जावे कि वे मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात् के किसी भी भू–भाग को रहन बय, बक्षीश या अन्य तरीके से हस्तान्तरण नही करे न करावे। तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने देवें।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजीयात को रहन विक्रय तथा खुर्द बुर्द न करे न करावे तथा राजस्व रिकार्ड कि यथास्थिति बनाये रखे।

वकील प्रार्थी की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– **<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>**

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी हैं । वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थी नं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके हक हिस्से से महरून रखना चाहते है जबकि प्रार्थी का उक्त वादग्रस्त आराजीयात में जन्म से ही हक हिस्सा निहित है फिर भी अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उसके हक हिस्से की आराजीयात से मेहरून करने की गरज से वादग्रस्त आरजीयात को विक्रय हस्तारण व खुर्द बुर्द करने पर आमदा है जिस कारण अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया आवश्यक है विपक्षी प्रार्थी को मौके से बेदखल करने पर आमादा है । इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:38 IST
Reason: SelfAttested

<u>2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–</u>

चूंकि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी है। जिस[illegible] है । तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि विपक्षी [illegible] अस्थाई [illegible] से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेगा जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त [illegible] के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थीगण साबित करने में सफल रहे है।

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

—:निर्णय:—

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी हैं। वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थी नं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उसके हक हिस्से से महरूम रखना चाहते है जबकि प्रार्थी का उक्त वादग्रस्त आराजीयात में जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। यदि विपक्षी को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेगें । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 (प्र.सं. 27/20) आर.टी.एक्ट. को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 14.08.2020 के अनुसार विपक्षीगण मौजा जयसिंहपुरा पटवार हल्का जयसिंहपुरा की आराजी नं. 552, 553, 842 कुल किता 3 कुल रकबा 2.86 हैक्ट. भूमि का विक्रय नहीं करे । हस्तान्तरण नहीं करे। राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस हेतु विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है ।
यह आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:38 IST
Reason: SelfAttested